11. गुर्दा प्रतिरोपण से संबंधित बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा

1. सामूहिक बीमा योजना।

आवास

1. अपना खुद का मकान बनाने की योजना।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीड़ी कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना।
3. बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को वर्कशेड़ तथा गोदाम बनाने के लिए राजसहायता प्रदान करना।
4. सामूहिक आवासीय योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मचारियों (घर खाता बीड़ी कर्मचारियों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए वर्दी, नोट बुक तथा पाठ्य पुस्तक का एक सेट देने हेतु मिश्रित योजना।
3. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
4. स्कूल में उपस्थिति के आधार पर बीड़ी कर्मचारियों के मादा बच्चों को एक रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

मनोरंजन

1. श्रव्य दृश्य सेट/सिनेमा गाड़ी/फिल्मों की प्रदर्शनी की स्थापना करना।
2. बीड़ी कर्मचारियों के लिए खेलों, क्रीड़ा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।
3. बीड़ी कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह योजना।
4. बीड़ी कर्मचारियों की औद्योगिक सहकारी समितियों को टी०वी० सेट देना।
5. बीड़ी कर्मचारियों की आवासीय कालोनी में रंगीन टी० वी० सेट सहित सम्प्रदाय भवन की स्थापना करना।

Measures for promotion of industries in backward areas of Andhra Pradesh

2457. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the present industrial policy to promote industries in backward areas of the country like Anantapur and Telangana areas in Andhra Pradesh; and

(b) the special incentives offered to attract entrepreneurs in backward areas?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) With the introduction of new Industrial Policy in July, 1991, main responsibility for Industrial Development rests with the State Governments. The Central Government supports and supplements their efforts. The Ministry of Industry is implementing the Centrally sponsored Schemes for accelerated industrial development of backward areas. These Schemes also cover the State of Andhra Pradesh. The Growth Centre Scheme introduced in June, 1988 provides for setting up of industrial Growth Centres with basic infrastructure facilities like power, telecommunications, banking etc. at a project cost of Rs. 25—30 crores with a Central Government contribution of upto Rs. 10 crores. Under this Scheme Andhra Pradesh has been allotted four Growth Centres which have been approved at Hindupur (Distt. Anantapur); Khammam (Vemsoor Mandal); Vizianagaram-Bobbili (Dist. Vizianagaram); and Ongole (Distt. Prakasam). A total amount of Rs. 8.50 crores has also been released as Central assistance.

Under the Integrated Infrastructure Development (IID) Scheme introduced in 1994, so far one IID Centre has been sanctioned at Village Nandial Mandal in District Kurnool, Andhra Pradesh. The IID scheme is being implemented primarily for the development of small scale industries in rural and backward areas. The State Governments operate various schemes which provide fiscal

incentives and also provide subsidies in order to attract industries in backward areas.

Revision of Royalty Rates of Minerals

2458. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government has lately been considering a downward revision of royalty rates of certain minerals including diamonds;

(b) if so, the details of the proposals and the decisions taken thereon; and

(c) the reasons which prompted such downward revisions of these rates?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) The Government constituted a Study Group on 30.1.95 for carrying out detailed review of rates of royalty and dead rent applicable to major minerals (other than Coal. lignite and sand for stowing) including diamonds in India. The Study Group submitted its report in Nov. 1995. Report of the Study Group has been examined and the revision of royalty rates is under consideration of the Government.

मध्य प्रदेश का आवंटित मिट्टी के तेल की मात्रा में बढ़ोतरी

2459. **श्री राधा किशन मालवीय:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को मिट्टी के तेल का आवंटन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मध्य प्रदेश को आवंटित मात्रा में वृद्धि की जाएगी?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पिछली मांग, उठाने के रूख और सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों से अतिरिक्त आवंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। अपेक्षित मात्रा की केवल 60% मात्रा देश में उपलब्ध होती है और शेष मात्रा का आयात किया जाता है। उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अन्तर्निहित भारी राज सहायता संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए राज्यों की समूची मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिर भी, वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान समग्र रूप से देश के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन में 3% वृद्धि की गई। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति खपत कम है, उनको अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई।

वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 29319 मीट्रिक टन मिट्टी का तेल आवंटित किया गया।

देश में इस्पात के भंडार

2460. **श्री रामजी लाल:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात का कुल अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) देश में इस्पात के उत्पादन के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, और इस्पात उत्पादन की कुल मात्रा और आयात किए जा रहे इस्पात की मात्रा कितनी-कितनी है;

(ग) इस्पात का आयात करने के क्या कारण हैं और इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी है और सरकार इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) दिनांक 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार देश में लौह अयस्क के कुल प्राप्त भण्डार का अनुमान 1,27,450 लाख टन लगाया गया है। इसमें 96020 लाख टन हेमेटाइट और 31430 लाख टन मैग्नेटाइट अयस्क शामिल है।